राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3416/2025

सन्तोष कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. अति. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.07.2025
आदेश की दिनांक : 21.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की जाती है।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में फार्मासिस्ट के पद पर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज (टी.बी. चेस्ट हॉस्पिटल), जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.02.2013 (अनुलग्नक–1) के द्वारा फार्मासिस्ट के 1209 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 12.08.2016 को चयन सूची जारी की गई। जिसमें अपीलार्थी का नाम सम्मिलित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.08.2016 (अनुलग्नक–2) के द्वारा 554 अभ्यर्थियों के पक्ष में नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश जारी किया गया। उनका कथन है कि विभाग द्वारा कुल 1209 फार्मासिस्ट के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन अपीलार्थी को छोड़कर केवल 554 अभ्यर्थियों को नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश जारी किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.02.2017 (अनुलग्नक–3) के द्वारा 73 अभ्यर्थियों के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी

किया गया। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 38 पर अंकित है। अपीलार्थी एवं उसके समान समान सभी उम्मीदवारों को समान लाभ/उपचार दिया जाना आवश्यक है, लेकिन चयनित उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करते समय प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उन्हें एक ही समय में सभी चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जिन अभ्यर्थियों को दिनांक 16.08.2016 के द्वारा नियुक्ति दी गई थी, उन्होंने दिनांक 30.10.2018 एवं दिनांक 14.12.2018 के द्वारा परिवीक्षा काल पूर्ण करने पर स्थायी कर दिया गया तथा उन्हें जुलाई, 2019 में वेतन वृद्धि दी गई। लेकिन विलम्ब से नियुक्ति दिये जाने के कारण अपीलार्थी ने फरवरी, 2019 में परिवीक्षा काल अवधि पूर्ण की तथा अपीलार्थी को जुलाई, 2020 में वेतन वृद्धि स्थगित कर दी गई। जिसके कारण अपीलार्थी को एक वेतन वृद्धि से वंचित होना पड़ा। अभ्यर्थी कृष्ण कुमार कुमावत, वर्षा अग्रवाल, पूनम, महेन्द्र, नीतू शर्मा, हंसा सैनी, दीपमाला यादव, जल सिंह, कुंतल जिनके नाम क्रम संख्या 159 (431), 222 (605), 239 (673), 360 (1681), 368 (1783), 371 (1825), 252 (416) पर अंकित है। उन्हें पूर्व में ही दिनांक 16.08.2016 से नियुक्ति दे दी गई। जबकि अपीलार्थी जिसकी रैंक 60 है, को बाहर कर दिया गया तथा अपीलार्थी को दिनांक 08.02.2017 को नियुक्ति दी गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियुक्ति नहीं दिये जाने के कारण दिनांक 16.08.2016 को नियुक्ति दिए गए अभ्यर्थियों के साथ अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान से वंचति किया गया। अपीलार्थी अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने की तिथि से भुगगता निर्धारण, वरिष्ठता, चयन, काल्पनिक लाभों पर वेतन वृद्धि पाने का हकदार है। जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 17.07.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। यदि किसी योग्य उम्मीदवार को नियोक्ता द्वारा देरी से नियुक्ति दी जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी को उन सभी लाभों का हकदार माना जाएगा जो उसके समकक्ष/ योग्यता में निम्न अभ्यर्थी को दिए गए थे। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 13544/2020 भरत शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.01.2021 (अनुलग्नक–5) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को दिनांक

16.08.2016 से सेवा में मानते हुए अन्य कार्मिकों के समान समस्त देय परिलाभ काल्पनिक आधार पर दिये जावे

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए एवं अपीलार्थी विद्वान् अधिवक्ता द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें। अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष